न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/47 दायरा दिनांक : 03.04.2024

उनवान

मांगीबाई आयु 73 वर्ष पुत्री श्री गेन्दया पत्नि श्री रामकिशन, जाति लोधा, निवासी ग्राम कडैयाचोर, तहसील छबडा, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मीबाई आयु 75 वर्ष पत्नि श्री मानसिंह, जाति गूर्जर
2. कैलाश नारायण आयु 58 वर्ष पुत्र श्री मानसिंह, जाति गूर्जर
3. राजेन्द्र सिंह आयु 56 वर्ष पुत्र श्री मानसिंह, जाति गूर्जर
4. कुलदीप सिंह आयु 51 वर्ष पुत्र श्री मानसिंह, जाति गूर्जर
5. महेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र स्व० श्री कमल सिंह, जाति गूर्जर
   निवासीगण ग्राम बापचा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धमेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.09.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 45/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 19, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बापचा, तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 16 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 17 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 167 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 311 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 174 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंर 415 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा स्थित है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2017 खिलाफ कानून होने से काबिल खारजा है अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन न करके उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित करने में भारी भूल की है अस्तु अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय एंव डिक्री न्याय के सर्वमान्य नियमों व सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर बिना अपीलान्ट को सूचित किये मिली भगत कर डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है, जो उक्त प्रकरण में लेखबद्ध आदेशिका से प्रमाणित है कि दिनांक 24.11.2017 को डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी नहीं होने पर सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधनों के मुताबिक दिनांक 13.01.2016 को अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की जानी चाहिये थी परन्तु इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2016 को अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी के लिये वादीगण को स्थानीय अखबार राष्ट्रदूत में साया करने हेतु निर्देशित कर दिया एवं जबकि उक्त अखबार का वितरण बहुत कम लोगों तक सीमित होने व साथ ही डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के अनपढ देहाती महिला होने के तथ्य वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 की जानकारी में होने तथा उक्त अखबार के अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के निवास स्थान गांव में वितरण नहीं होने के तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी मानते हुये उक्त निर्देश दिनांक 13.01.2016 अखबार साया के पश्चात् निरन्तर दो तारीख पेशी कमशः 17.02.2016 एवं 17.03.2016 को छोडते हुये दिनांक 30.03.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर खिलाफ कानून दिनांक 25.05.2017 को उक्त प्रकरण ग्राम बापचा में साक्ष्य वादी पेश करने हेतु आदेशित कर दिया एवं उसके उपरान्त दिनांक 31.05.2017 को उक्त प्रकरण में साक्ष्य वादी बन्द कर दिनांक 01.06.2017 को राजस्व केम्पं तीतरखेडी में वास्ते मूल वाद बहस में प्रकरण को नियत कर एवं तत्पश्चात् उक्त प्रकरण को राजस्व केम्पं गोडीयामेहर में वास्ते मूल वाद बहस में दिनांक 05.06.2017 को नियत कर दिया तथा उक्त प्रकरण को बिना डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की सुनवाई किये दिनांक 05.06.2017 राजस्व केम्पं गोडीयामेहर में निर्णय कर वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 के पक्ष में निर्णय व डिक्री जारी कर दी। जबकि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत् आयोजित राजस्व केम्पो में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किये जाते है एवं डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की भूमि वाले ग्राम बापचा या निवास स्थान ग्राम कडैयाचोर में आयोजित राजस्व केम्प शिविर के स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को राजस्व केम्प गोडीयामेहर में डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है जो वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 व अधीनस्थ न्यायालय के मध्य मिली भगत को इंगित करती है तथा उक्त तथ्यों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 निरस्तनीय है

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी की विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है जबकि आर.टी.एक्ट में एडवर्स पजेशन/प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी प्रावधान नहीं है तथा श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने अनेको न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन/प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आर.टी. एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, जिनकी रोशनी में उक्त निर्णय व डिक्री दूषित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून उक्त पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है।

वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत उक्त वाद में यह कथन किये कि विवादित आराजी को उनके पूर्वज मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, जाति गूजर द्वारा फाड तोड कर काबिल काश्त बनाया है तथा विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने के समय मानसिंह गूर्जर के कब्जे काश्त में स्थिति थी एवं उन्हें वादग्रस्त भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे । उक्त तथ्यों को वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा साबित भी नहीं किया गया है साथ ही वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत अपने दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य में कही यह नहीं दर्शाया की श्री मानसिंह जी ने किस कारण से अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों हेतु मांग नहीं की एवं गेन्दया पुत्र श्री गुलाब की मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 1/अपीलान्ट का नाम जरिये फोती नामान्तरण खातेदारी में दर्ज होने व विवादित आराजी प्रार्थीया/ अपीलान्ट के कब्जे काश्त में होने के बाद भी इतने अन्तराल बाद वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 को उक्त वाद पेश करना पडा। उक्त तथ्यों का न्यायोचित रूप से न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक था जो कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के बाद ही संभव है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत एक तरफा साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी जबकि वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलान्ट/ प्रतिवादी कम 1 के पिता श्री गेन्दया पुत्र गुलाब को खातेदार कृषक व वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 के पूर्वज मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह को वादग्रस्त आराजी पर जैली काश्तकार बतलाया गया है तथा कोटा संभाग में कानूनन जैली काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये सकते हैं उक्त कानून की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में कानून के विपरीत डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर विवादित आराजी पर डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर देने से उक्त पारित निर्णय डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के साम्पत्तिक अधिकारों के विपरीत है तथा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एकपक्षीय होने के कारण प्रार्थी/अपीलान्ट अपना पक्ष रखने व न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वादीगण/रेस्पो० ने जानबूझ कर सुनियोजित तरीके से उक्त प्रकरण में प्रार्थीया/अपीलान्ट के अनपढ़ देहाती होने का फायदा उठाते हुये उसकी जानकारी में लाये बिना उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री प्राप्त की है इससे पूर्व प्रार्थीया/अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण न्यायोचित न्याय प्रदान करने हेतु डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 को जवाबदेही व समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण के कानून सम्मत रूप से सुनवाई किये जाने वास्ते उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर भारी कानूनी भूल की है, जबकि विचाराधीन उक्त प्रकरण में कानूनी मूलभूत सारवान बिन्दु विद्यमान है जिनका समग्र अध्ययन कर निर्णय व डिक्री पारित करने करने हेतु प्रार्थी/अपीलान्ट जवाबदेही व समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण के कानून सम्मत रूप से सुनवाई किये जाने वास्ते उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 05.06.2017 बउनवान मुकदमा लक्ष्मी बाई वगैरा बनाम मांगीबाई वगैराह दावा धारा 88, 89, 91, 19, 188 व 92 (ए) आर० टी० एक्ट वाद संख्या 45/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा, जिला बांरा, राज० निरस्त फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को रिमाण्ड फरमाने की कृपा कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतः निर्णय व डिक्री पारित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.03.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि रेस्पो० कम 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अपीलान्ट व रेस्पो० कम 6 के विरूद्ध धारा 88, 89, 91, 19, 188 व 92(ए) आर.टी.ए. का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बउनवान लक्ष्मीबाई वगैरा बनाम मांगीबाई वगैराह पेश किया था जिसका मुकदमा कमांक 45/2015 है उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.06.2017 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर आदेश दिया है कि समस्त विवेचानानुसार वादीगण का वाद धारा 88, 89, 91, 19, 188, 92 (ए) आर. टी. एक्ट अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है आराजी ग्राम बापचा, तहसील छबडा कुल किता 7 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा पर वादीगण 1 लगायत 5 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें प्रतिवादीगण नं० 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरित नहीं करे। तन्दनुसार डिक्री पर्चा जारी किया यदि किसी अपर कोर्ट से स्थगन आदेश ना हो तो तहसीलदार छबडा अनुपालना सुनिशिचित करें। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर बिना अपीलान्ट को सूचित किये मिली भगत कर डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है, जो उक्त प्रकरण में लेखबद्ध आदेशिका से प्रमाणित है कि वाद पेश दिनांक 01.06.2015 के बाद रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा अपीलान्ट की तामील हेतु बिना सम्यक प्रयास किये दिनांक 24.11.2015 को डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी नहीं होने व नोटिस अदम में प्राप्त होने पर की इस नाम का व्यक्ति गांव में नहीं रहता है जबकि अपीलान्ट महिला है व्यक्ति शब्द का सम्बोधन गलत होने तथा अपीलान्ट के वास्तविक निवास बाबत बिना जानकारी जुटायें व पूछताछ नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकिया के उपरान्त सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों के मुताबिक दिनांक 13.01.2016 को डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से किये जाने बाबत आदेश प्रदान नहीं कर सीधे ही इसके विपरीत दिनांक 13.01.2016 को आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी से वर्णित प्रावधानों में अखबार साया के आदेश दे दिये। जबकि आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी के प्रावधानों के अनुसार तभी प्रतिस्थापित तामील का अवलम्बन लिया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय को इस निमित संतुष्टि हो जावें कि प्रत्यर्थी तामील टालने के प्रायोजनार्थ बाहर रह रहा है या किसी अन्य कारण से साधान्य तरीके से तामील नहीं हो पा रही है एवं प्रतिस्थापित तामील के आलावा प्रतिवादी कम 1/अपीलान्ट की तलबी का कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं है बाबत् कारण आदेश में अंकित कर प्रतिस्थापित तामील जारी कर सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में बिना युक्तियुक्त कारण अंकित किये प्रतिस्थापित तामील के आदेश पारित कर दिये और डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी के लिये वादीगण को स्थानीय अखबार राष्ट्रदूत में साया करने हेतु निर्देशित कर दिया जो माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित न्यायिक निर्णय कमशः बउनवान नीरजा रिलेटरस बनाम जंगलु सीजे (सिविल) 2018 (1) एस.सी. पेज 177 बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम बोर्ड आफ रेवन्यु सीजे (सिविल) 2019 (1) राज० पेज 607 बउनवान यादवेन्द्र सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह वगैरा सीजे (सिविल) 2018 (2) राज० पेज 797 बउनवान भैरूलाल

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाम बोर्ड आफ रेवन्यु सीजे (सिविल) 2019 (3) राज० पेज 1488 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में विधि के विपरीत है। जबकि उक्त अखबार का वितरण बहुत कम लोगो तक सीमित है व साथ ही डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के अनपढ देहाती महिला होने के तथ्य वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 की जानकारी में भी है एवं उक्त अखबार डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के निवास स्थान गांव में वितरण भी नहीं होता है साथ ही रेस्पो0 कम 1 ता 5 ने अपीलान्ट के पते को स्पष्ट भी नहीं किया उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने, एवं आदेशिका में उक्त संदर्भ में कोई आलेखन नहीं कर डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की तलबी मानते हुये उक्त निर्देश दिनांक 13.01.2016 अखबार साया के पश्चात् निरन्तर दो तारीख पेशी कमशः 17.02.2016 एवं 17.03.2016 को छोडते हुये दिनांक 30.03.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/ प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर खिलाफ कानून लगातार तारीख प्रदान कर आदेशिका में कांटछाट, ओवर राईटिंग कर दिनांक 25.05.2017 को उक्त प्रकरण ग्राम बापचा में साक्ष्य वादी पेश करने हेतु आदेशित कर दिया एवं उसके उपरान्त दिनांक 31.05.2017 को उक्त प्रकरण में साक्ष्य वादी बन्द कर दिनांक 01.06.2017 को राजस्व केम्प तीतरखेडी में वास्ते मूल वाद बहस में प्रकरण को नियत कर एवं तत्पश्चात् उक्त प्रकरण को राजस्व केम्पं गोडीयामेहर में वास्ते मूल वाद बहस में दिनांक 05.06.2017 को नियत कर दिया तथा उक्त प्रकरण को बिना डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की सुनवाई किये दिनांक 05.06.2017 राजस्व केम्पं गोडीयामेहर मे प्रकरण की तारीख देकर निर्णय कर वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 के पक्ष में निर्णय व डिक्री जारी कर दी। जबकि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत् आयोजित राजस्व केम्पो में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किये जाते हैं जो, विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों से भी जाहिर है एवं डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 की भूमि वाले ग्राम बापचा या निवास स्थान ग्राम कडैयाचोर में आयोजित राजस्व केम्प शिविर के स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को राजस्व केम्प गोडीयामेहर में डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है जो वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 व अधीनस्थ न्यायालय के मध्य मिली भगत को इंगित करती है क्योंकि रेस्पो० कम 1 ता 5 की प्रारम्भ से ही मंशा थी कि अपीलान्ट को जो देहाती अनपढ महिला है उसे उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो सके तथा उसके खाते की आराजी को एकपक्षीय निर्णय पारित कर हडपा जा सकें जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में विहित प्रक्रिया से प्रमाणित है तथा उक्त तथ्यों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 निरस्तनीय है।

वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी की विवादित आराजी पर एक प्रकार से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है जबकि आर टी. एक्ट में एडवर्स पजेशन/प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी प्रावधान नहीं है तथा श्रीमान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने अनेको न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन/प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आर.टी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, जो न्यायिक निर्णय बउनवान दहीमाराम बनाम कालू वगैरा आर.आर.टी. 2019 (2) राजस्व मण्डल पेज 893 बउनवान प्रताप सिंह बनाम शंकर सिंह वगैरा आर.आर.टी. 2021 (1) राज० पेज 737 की रोशनी में उक्त निर्णय व डिक्री दूषित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून उक्त पारित निर्णय व डिक्री निस्स्तनीय है।

वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत उक्त वाद में यह कथन किये कि विवादित आराजी को उनके पूर्वज मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, जाति गूर्जर द्वारा फोड तोड कर काबिल काश्त बनाया है तथा विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने के समय मानसिंह गूर्जर के कब्जे काश्त में स्थिति थी एवं उन्हें वादग्रस्त भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। उक्त तथ्यों को वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा साबित भी नहीं किया गया है साथ ही वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत अपने दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य में कही यह नहीं दर्शाया कि श्री मानसिंह जी ने किस कारण से अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों हेतु मांग नहीं की एवं गेन्दया पुत्र श्री गुलाब की मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 1/अपीलान्ट का नाम जरिये फोती नामान्तरण खातेदारी में दर्ज होने व विवादित आराजी प्रार्थीया/अपीलान्ट के कब्जे काश्त में होने के बाद भी इतने अन्तराल बाद वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 को उक्त वाद पेश करना पडा। रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 1 लगायत 6 से भी विवादित आराजी पर रेस्पो० कम 1 ता 5 का निरन्तर कब्जा काश्त होना स्पष्ट नहीं है। उक्त तथ्यों का न्यायोचित रूप से न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक था जो की पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के बाद ही संभव है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत एक तरफा साक्ष्य के आधार पर उसका निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी जबकि वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रर्दश 1 जमाबन्दी सवत् 2012 से 2015 में अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के पिता श्री गेन्दया पुत्र गुलाब को खातेदार कृषक व वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 के पूर्वज मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह को वादग्रस्त आराजी पर जैली काश्तकार बतलाया गया है। उक्त दस्तावेज प्रदर्श 1 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 लागू होने की दिनांक 15.10.1955 के बाद का है एवं रेस्पो० कम 1 ता 5 ने सवत् 2012 से पूर्व का कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है जिससे प्रमाणित होता हो कि मानसिंह जी सवंत 2012 भू प्रबन्धक कार्यवाही के पहले से या राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 लागू होने के पूर्व से विवादित आराजी पर काबिज काश्त रहे हो तथा कोटा संभाग में कानूनन जैली काश्तकार को अतिकमी माना गया है एवं जैली काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये सकते है, साथ ही रेस्पो० कम 1 ता 5 ने अपने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बयानों अथवा वाद पत्र में किये गये कथनों में कही भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनके पूर्वज मानसिंह जी किस हेसियत से विवादित आराजी पर काबिज थे। जिस कारण रेस्पों० कम 1 ता 5 विवादित आराजी पर अधिनियम की धारा 19 (1) (ए) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हो। जिस बाबत् न्यायिक निर्णय बालचन्द बनाम गोपीलाल आर. आर.डी. 1977 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान पेज 320 माधोलाल बनाम कल्याण आर.आर.डी. 1963 राजस्थान उच्च न्यायालय पेज 304 में विस्तृत से बताया गया है। परन्तु उक्त सारभूत कानूनी बिन्दुओं की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दूषित निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में कानून के विपरीत अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर विवादित आराजी पर डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर देने से उक्त पारित निर्णय डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 के साम्पत्तिक अधिकारों के विपरीत है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एकपक्षीय होने के कारण प्रार्थी/अपीलान्ट अपना पक्ष रखने व न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वादीगण/रेस्पो० ने जानबूझ कर सुनियोजित तरीके से उक्त प्रकरण में प्रार्थीया/अपीलान्ट के अनपढ़ देहाती होने का फायदा उठाते हुये उसकी जानकारी में लाये बिना उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री प्राप्त की है इससे पूर्व प्रार्थीयां/अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकियात भी कायम नहीं की गयी है जो विधि के विपरीत है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य बिन्दु यह था है कि क्या वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 विवादित भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ? वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने विवादित आराजी पर उनके पूर्वज मानसिंह जी के निरन्तर काबिज काश्त चले आना बताकर खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति हेतु अनुतोष की मांग की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाबत् आर.टी. एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है साथ ही वादीगण/रेस्पो0 1 कम 1 ता 5 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी कानूनन 1955 लागू होने के पूर्व से विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त प्रमाणित करना था जो उनके द्वारा साबित नहीं किया गया है जिस बाबत् राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित न्यायिक निर्णय बउनवान राजस्थान सरकार बनाम सुल्तान वगैरा 2021 (1) आर.आर.टी पेज 67 उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है। इस कारण न्यायोचित न्याय प्रदान करने हेतु डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 1 को जवाबदेही व समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण के कानून सम्मत रूप से सुनवाई किये जाने वास्ते उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर भारी कानूनी भूल की है, जबकि विचाराधीन उक्त प्रकरण में कानूनी मूलभूत सारवान बिन्दु कमशः प्रतिस्थापित तामील एडवर्स पजेशन पर खातेदारी अधिकार जैली काश्त के कोटा संभाग में मान्यता व खातेदारी अधिकार, काश्तकारी कानून लागू होने के पूर्व कब्जादारी के खातेदारी अधिकार इत्यादि विद्यमान है। जिनका समग्र अध्ययन कर निर्णय व डिक्री पारित करने करने हेतु प्रार्थी/अपीलान्ट को जवाबदेही व समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण के कानून समत रूप से सुनवाई किये जाने वास्ते उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो अनुकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर उक्त एक पक्षीय निर्णय व डिक्री वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 के पक्ष में पारित की है जबकि वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5, मृतक मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के उत्तराधिकारी या कायम मुकामान है इस बाबत कोई पटवारी रिर्पोट अथवा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है जो वादीगण को मृतक मानसिंह का कायम मुकामान प्रमाणित करता हो जो वादीगण द्वारा दस्तावेजी तोर पर प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जबकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी इन्तकाल की कार्यवाही में पटवारी हल्का द्वारा मृतक के वारिसान की पूर्णरूप से छानबीन कर ही नामान्तकरण खोला जाता है परन्तु उक्त प्रकरण में बिना प्रमाण के वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 को मानसिह का वारिस मान कर वाद को डिक्री करना संदिग्ध है जो मिली भगत को दर्शाता है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से पूर्व ना तो वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 5 से अपीलान्ट/प्रति० कम 1 के निवास व पत्ते बाबत् कोई जानकारी जुटाई गई एवं ना ही पटवारी हल्का से रिर्पोट प्राप्त की कि अपीलान्ट का निवास वाद में बताये गये पते पर भी है या नहीं अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्यों पर न्यायपूर्ण तरीके से गोर करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलार्थी की भूमि को वादी/रेस्पो० कम 1 ता 5 के पक्ष में उक्त वाद के माध्यम से बिना सुनवाई किये डिक्री कर दिया जो अन्याय पूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपने खातेदारी की विवादित आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु नकल जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर दिनांक 18.03.2024 को अपने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो प्रार्थी/अपीलान्ट की जानकारी में आया की विवादित आराजी प्रार्थी/अपीलान्ट के खातेदारी में नहीं है तथा उक्त पारित निर्णय व डिक्री की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुपालना में विवादित आराजी पर प्रार्थी/अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 5 के नाम जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज किये गये है जिस पर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अविलम्ब दिनांक 21.03.2024 को बारां जिला रेकार्ड रूम में नकल आवेदन पेश करने पर उसी दिन दिनांक 21.03.2024 को नकल निर्णय प्राप्त करने पर हुई। इससे पूर्व प्रार्थी/अपीलान्ट अनपढ देहाती महिला होने से उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हुयी अस्तु जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है मियाद अवधि के अवसान बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी अपीलान्ट ने पेश किया हुआ है। अपीलान्ट ग्राम देहात की एक पर्दाशीन अनपढ महिला है जिसे उक्त प्रकरण मे विवादित आराजी के आलावा कोई अन्य आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं है तथा रेस्पो० कम 1 ता 5 ने षड्यन्त्र पूर्वक कपट कर उक्त एकपक्षीय निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध पारित करवा कर अपीलान्ट की उक्त विवादित आराजी को हडपने का प्रयास किया जा रहा है तथा खातेदारी में नाम आ जाने के कारण रेस्पो० कम 1 ता 5 अपीलान्ट को आराजी से बेदखल कर तृतीय पक्षकार को बेचान करने पर आमादा है। उक्त निर्णय व डिक्री कि जानकारी भी अपीलार्थी को जब नकल आवेदन लगाया उसके बाद नकल प्राप्त करने पर हुई इससे पूर्व अपीलार्थी को उक्त आराजी पर आराजी के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी तथा अपीलार्थी एक ग्रामीण परिवेश अशिक्षित महिला है जिसे अदालती प्रक्रिया का पता चलना और उक्त वाद में अपनी भूमिका की जानकारी होना संभव नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने द्वारिका प्रसाद बनाम पृथ्वीराज सिंह सिविल अपील 11259/2022 निर्णय दिनांक 20.12.2024 में भी प्रतिपादित किया है कि प्रक्रियात्मक तकनीकी कार्य के लिये रसेल जस्टिस की बली नहीं दी जानी चाहिये बल्कि दोनों पक्षों को मामले के आधार पर तथ्यों को उजागर करने का अवसर देना चाहिये। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांक 05.06.2017 बउनवान मुकदमा लक्ष्मी बाई वगैरा बनाम मांगीबाई वगैराह दावा धारा 88, 89, 91, 19, 188 व 92 (ए) आर० टी० एक्ट वाद संख्या 45/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा, जिला बांरा, राज० को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम तो यह अपील अपीलान्ट ने 2555 दिन बाद पेश की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की मियाद 60 दिन है दूसरी बात यह है कि अपीलान्ट का यह कहना कि उसको सर्वप्रथम जानकारी 28.03.2024 को हुयी जब वह पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने गयी । यह डिक्री वर्ष 2017 में जारी हो गयी थी। वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक 7 साल में वह कभी किसान कार्ड बनवाने गयी ही नहीं और गयी भी तो उसको जानकारी भी नहीं हुयी थी क्या। क्योकि 2017 से जब डिक्री जारी हुयी तभी से यह भूमि रेस्पो० के खाते दर्ज हो गयी थी।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सन् 2024 मे ही अपीलान्ट को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की आवश्यकता क्यो हुयी इसका कोई कारण अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस मे नहीं बताया है इससे यह स्पष्ट है कि 2024 की तारीख जानकारी बतायी है वह सर्वथा झूठी है और किसी भी झूठ पर आसानी से पर्दा नहीं डाला जा सकता क्योंकि यह भूमि अपीलान्ट ने आज दिन तक कभी काश्त ही नहीं की तथा रेस्पो० तथा उसके पितामह ही इस भूमि को आरम्भ से ही काश्त करते चले आ रहे हैं तथा रेस्पो० द्वारा पूर्व मे जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का भी दे रखा है उसमे लिमिटेशन पर भी समस्त तथ्य लिखे हुये है तथा माननीय राजस्व मण्डल उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय तीनों अदालतों का यह कहना है कि यदि कोई अपील बेरून मियाद पेश की जाती है तो अपीलान्ट को प्रत्येक दिन का हिसाब बताना पडेगा। जब 2017 में डिक्री जारी हो गयी इन्तकाल खुल गया भूमि रेस्पो० के खाते दर्ज हो गयी। सन् 2017 से 2024 तक अपीलान्ट ने कभी अपना खाता नहीं देखा, यह बात समझने मे आने वाली नहीं है इस कारण प्रथम दृष्टया ही अपील मियाद के प्रश्न पर खारिज होने योग्य है।

जब तथ्यों का प्रश्न आता है तो यह भूमि जब टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ यानि 15 अक्टूबर 1955 को जिस यदि टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस दिन यह भूमि मानसिह के कब्जे में चली आ रही थी इसके लिये रेस्पो० की ओर से एक्जी. पी. 1 नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सं. 2012 से 2015 पेश की है जिसमे काश्तकार की जगह कॉलम नं. 4, 5, 6 मे मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह गूर्जर का जैली, काश्त का वर्णन है तथा इसके बाद की जमाबंदिया जो एक्जी. पी. 2, एक्जी. पी. 3,. एक्जी पी 4 से एक्जी. पी. 6 तक पेश हुयी है उन सब में भी रेस्पो० के पितामह का नाम दर्ज है सम्वत् 2032 की खसरा गिरदावरी के कॉलम नं. 40 में जैली मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह का नाम दर्ज है। सम्वत् 2032 के बाद गिरदावरी में काश्त करने वाले का नाम अंकन करना बन्द कर दिया। इस कारण किसी का नाम नहीं है लेकिन अपीलान्ट ने यह कही भी अपनी लिखित बहस में नहीं बताया कि जब वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो० का कब्जा है तो अपीलान्ट ने रेस्पो० को इस भूमि से कब बेदखल किया और कब कब्जा प्राप्त किया। ऐसी कोई रिपोर्ट पटवारी अथवा तहसीलदार की रिकोर्ड पर नहीं है इससे यह स्पष्ट है कि कब्जा आज दिन भी रेस्पो० का ही चला आ रहा है तथा रेस्पो० के कब्जे को 80 वर्ष से अधिक समय हो गया तथा 15.10.1955 जब टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस दिन जब भूमि पर रेस्पो० अथवा उसके पिता काबिज थे तो वर्तमान कब्जाधारी को भूमि पर खातेदारी अधिकार देना न्यायालय का काम है इस पर 2014 (2) आर.आर.टी. 1368 उच्च न्यायालय तथा 2015 आर.बी.जे. 368 एवं उपकृषक को खातेदारी अधिकार दिये गये है तथा उपकृषक को खातेदार माना है। इस पर 2016 वेस्टल लॉ केसेज राजस्थान, अन रिपोटैड केसेज पेज 98 में तथा 2017 ऑलियम प्रथम आरआर.टी. पेज 83 में भी ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये गये है तथा 2017 ऑलियम प्रथम आरएल डब्ल्यू राजस्व 288 उच्च न्यायालय डबल बेंच मे भी यही प्रतिपादित किया गया है कि जो व्यक्ति 15.10.1955 को इस भूमि पर काबिज था उसको

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खातेदारी अधिकार दिये जावे तथा इसी आधार पर अधिनियम न्यायालय ने रेस्पो० का खातेदारी अधिकार दिये है।

अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में यह बताया है कि आदेश 5 नियम 20 सी.पी. सी.के प्रावधानों का उल्लघंन किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई उल्लघंन नहीं किया। अपीलान्ट का यह कहना कि उसको प्रोपर तामील नहीं है एवं सीधे ही अखबार मे साया करवा दिया। यह न्यायालय को देखना था कि जब कोई पक्षकार बार बार सम्मन जारी करने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही है तथा जो पता उसने जो अपनी जमाबंदी में दे रखा है उस पर नहीं रह रही है तो जो पता जमाबन्दी मे था वहां का स्थानीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत मे विज्ञापन जारी करवाया है तथा इसके बावजूद भी जब वह तारीख पेशी पर नहीं आयी तब एक तरफा किया गया है । इसके बाद भी लगभग एक वर्ष तक पत्रावली मे न्यायालय ने अपीलान्ट का इन्तजार किया कि कभी तो वह किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिये पटवारी के पास जायेगी लेकिन उसने कभी किसान केडिट कार्ड लेने की कोशिश ही नहीं की गयी तथा ना ही वह कभी पटवारी के पास गयी। इस कारण वह 2024 में पटवारी के पास गयी किसान क्रेडिट कार्ड के लिये तब उसको जानकारी हुयी कहना नितान्त गलत है

रेस्पो० की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह लेकर आये है लक्ष्मीबाई, मानसिंह की विधवा है तथा कैलाश नारायण व राजेन्द्र सिंह मानसिंह के पुत्र है तथा कुलदीप सिंह भी मानसिंह का पुत्र है एवं महेन्द्रसिंह स्वर्गीय कमलसिंह का पुत्र है इस तथ्य को किसी के द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं थी कि रेस्पो० ने जो सशपथ बयान किये है उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि मानसिंह के वारिसान रेस्पो० ही है इसके बाबत पटवारी से रिपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि मानसिंह के वारिसान कौन है इस प्रकार अपीलान्ट ने लिखित बहस दी है उसमें समस्त तथ्य तोड मरोड कर पेश किये है, उसके विरोध में ही यह रेस्पो० की ओर लिखित बहस दी जा रही है।

अतएव लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रथमतया अपील लिमिटेशन के प्रश्न पर ही खारिज की जावे क्योंकि रेस्पो० ने यह भी साबित कर दिया है कि 15.10.1955 जब टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस दिन वांदग्रस्त भूमि पर मानसिंह काबिज था जो आज दिन तक निरन्तर चला आ रहा है जिसको आज दिन किसी ने चेलेन्ज नहीं किया है इस कारण तथ्य के आधार पर भी अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का दावा पेश किया है कि ग्राम बापचा तहसील छबडा में भूमि खसरा नं. 15 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 16 रकबा 4.17 बीघा, खसरा नं. 17 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नं. 167 रकबा 3.05 बीघा, खसरा नं. 311 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 174 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नं. 415 रकबा 8.12 बीघा कुल किता रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। यह भूमि सदैव से वादी कमांक 1 के पति एवं वादीगण कमांक 2 ता 4 के पिता एवं वादी कमांक 5 के दादा मानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति गुजर निवासी बापचा के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू हुए उससे पहले से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण मृतक मानसिंह के उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त आराजी गेन्दया पुत्र गुलाब जाति लोधा के नाम खाते में गलत रूप से दर्ज हो गयी थी। उसका इस भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा था। गेन्दया पुत्र गुलाब की मृत्यु पश्चात वादग्रस्त भूमि उसकी पुत्री मांगीबाई प्रतिवादी कमाक 1 के नाम खाते में गलत रूप से दर्ज हो गयी है एवं उसका भी वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त आराजी सदैव से वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण ही भूमि का लगान अदा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः वादीगण को उक्त वर्णित भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम खाते में दर्ज की जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाकर प्रतिवादी कमांक 1 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जावे की वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र कही भी हस्तान्तरित करे, न ही किसी प्रकार का ऋण ले।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर अपने निर्णय में यह अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्थन काश्तकारी प्रावधान लागू हुए उसके पहले से ही मानसिंह पुत्र पृथ्वी गूजर का कब्जा काश्त एवं लगान जमा कराता था, मानसिह ने ही जमीन को फाडतोड कर कृषि योग्य बनाया है। मानसिंह की मृत्यु के बाद से उसके वारिसान वादीगण काबिज काश्त निरंतर रूप से आज तक काश्त करते चले आ रहे है इसलिए वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को ग्राम बापचा तहसील छबडा के कुल किता 7 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2065 से 2068 प्रदर्श पी–6 के अनुसार ग्राम बापचा, तहसील छबडा की खाता सं. 268 नयी खसरा नं. 15, 16, 17, 167, 174, 311 व 415 कुल किता 7 कुल रकबा 20.08 बीघा आराजी अपीलांट मांगीबाई पुत्री गेन्दया, जाति लोधा, साकिन कडैयाचोर के खाते दर्ज रिकार्ड है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 01.06.2015 को वाद वादी दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। आदेशिका दिनांक 24.11.2015 के अनुसार प्रतिवादीगणों के बाद तामील सम्मन अप्राप्त। पुनः तलबी हेतु तलवाना आज ही पेश करें। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 23.12.2015 को नियत की गई। दिनांक 23.12.2015 को पीठासीन अधिकारी के दौरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13.01.2016 को पेश हो, यह सील अंकित है। तत्पश्चात दिनांक 13.01.2016 की आदेशिका में सीधे ही प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन राष्ट्रदूत अखबारा में साया करवाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये। दिनांक 30.03.2016 को वकील वादी द्वारा राष्ट्रदूत समाचार पत्र की प्रति पेश करने पर उसी दिन प्रतिवादी नं. 1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट जो विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार है को सम्मन की व्यक्तिगत तामील नहीं हो पायी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट की व्यक्तिगत तामील हेतु विधिवत प्रकिया भी अमल में नहीं लायी गयी है। प्रतिस्थापित तामील का आदेश पारित किये जाने से पूर्व न्यायालय को इस बात हेतु संतुष्ट होना चाहिए कि नोटिस की तामील सामान्य रूप से होनी संभव नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी अपीलांट की जर्ये राष्ट्रदूत समाचार पत्र प्रतिस्थापित तामील होना मानते हुए कैम्प कोर्ट गोडियामेहर में कब्जे काश्त के आधार पर वादी रेस्पोडेंटगण को अपीलांट सुने बिना ही अपीलांट के खातेदारी की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं, अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय लोक अदालत की भावना के विपरीत है। लोक अदालत में केवल उभयपक्ष की सहमति से ही वाद का निस्तारण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोडियामेहर में प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में वादी रेस्पोडेंटगण का वाद स्वीकार कर वादी रेस्पोडेंटगण को प्रतिवादी अपीलांट के खाते की विवादित आराजी पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु पारित अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत के विधिक प्रावधान, सी. पी. सी. के आर्डर 5 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायलय में दिनांक 27.10.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/09/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा